सशस्त्र बगावत और शर्मिला

सामयिक

प्रभात कुमार रॉय

मणिपुर में सशस्त्र बगावत की प्रेरक शक्ति धर्म नहीं रहा। वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति से सराबोर मणिपुर के नौजवान आखिरकार क्यों पृथकतावादी सशस्त्र संग्राम की ओर आकर्षित हो उठे, यह एक अत्यंत जटिल प्रश्न है। मणिपुर में जारी आतंकवाद विगत तीस वर्षों के दौरान तकरीबन 30 हजार लोगों की बलि ले चुका है।

भारत के उत्तर पूर्व में सीमावर्ती प्रांत मणिपुर में ईरोम चानू शर्मिला नामक 39 वर्षीय महिला का विगत ग्यारह वर्षों से निरंतर जारी आमरण उपवास एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर पर उस समय चर्चा में आया, जब ईरोम चानू शर्मिला ने 23 अप्रैल को अन्ना हजारे के आमरण अनशन को अपना समर्थन दिया। अन्ना हजारे ने ऐलान किया कि वह स्वयं ईरोम शर्मिला का समर्थन करने के लिए मणिपुर जाएंगे। 1970 का दशक था। ईरोम शर्मिला अभी बच्ची ही थी कि उस दौर में ही मणिपुर प्रांत में आतंकवाद ने अपनी खूंखार दस्तक दी। मणिपुर की खूबसूरत मनोरम पहाड़ियों पर बंदूकों और बमों के धमाके गूंजने लगे। नागालैंड और मिजोरम की खूनी बगावत से प्रेरित होकर मणिपुर के पृथकतावादियों ने भी हथियार उठा लिए और भारत सरकार के खिलाफ बाकायदा ऐलान-ए-जंग कर दिया। बाईस हजार तीन सौ पचास स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित मणिपुर प्रांत 1970 का दशक बीतते-बीतते पूर्णतः आतंकवाद की चपेट में आ चुका था। 1980 में मणिपुर में हथियारबंद बगावत पर काबू प्राप्त करने के लिए 'आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट' (1958) आयद कर दिया गया। इस एक्ट के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जोकि संवैधानिक रूप से किसी भी एक्ट के तहत साधारण परिस्थिति में पुलिस-प्रशासन को प्रदान नहीं किए गए हैं। एक्ट के तहत वारंट के बिना ही पूछताछ, तलाशी एवं गिरफ्तारी के असीम अधिकार सुरक्षा बलों को मिले। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत कार्यवाही अंजाम देने वाले सिक्योरिटी फोर्स के अफसरों और जवानों पर किसी अदालत में केस दायर नहीं किया जा सकता।

एक प्राचीन उक्ति है कि मुहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से लैस सुरक्षा बलों के अफसरों और जवानों द्वारा आतंकवाद से कड़ा लोहा लेते हुए कुछ मामलों में कानूनी मर्यादाओं का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया। इस एक्ट से लैस सुरक्षा बलों के प्रति विरोध का स्वर गूंजा। एक्ट के विरोध में जारी मुहिम में सबसे अहम नाम बन गया ईरोम चानू शर्मिला का, जिसने इस एक्ट की आमदगी को मणिपुर से खत्म करने की खातिर 2 नवंबर 2000 से आमरण उपवास प्रारम्भ किया, जो आज भी निरंतर जारी है। ईरोम शर्मिला के छोटे भाई सिंहजीत सिंह के अनुसार आठवीं असम राइफल्स ने मणिपुर के मालोम नामक स्थान पर दस नागरिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस खूनी वाकये से ईरोम शर्मिला को बेहद आघात लगा और उसने हफ्तावार व्रत को आमरण उपवास में परिवर्तित कर दिया। उन्हें 5 नवंबर 2000 को पुलिस इंडियन पीनल कोड की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से ईरोम शर्मिला की जिंदगी किसी तरह से नाक द्वारा ट्यूब से लिक्विड फूड पर चल रही है।

ईरोम शर्मिला को कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कभी रिहा कर दिया जाता है। वह 2 अक्तूबर 2006 को महात्मा गांधी की समाधि पर गईं और दिल्ली में अनेक सभाओं में शिरकत की। 6 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा उसे पुनः गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जबरन दिए जाने वाले लिक्विड फूड के अभाव में वह मर सकती थीं। अनेक पुरस्कारों के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट द्वारा 51 लाख नकद राशि के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से ईरोम शर्मिला को नवाजा गया।

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज रहे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में एक्ट को निरस्त करने की सिफारिश सरकार से की, किंतु दुर्भाग्यवश जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अनुशंसा पर अभी तक सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। दरअसल, अभी तक कायदे से उन तमाम हालात की समीक्षा भी नहीं की गई है, जिनके कारण तकरीबन 25 लाख की आबादी वाले मणिपुर सरीखे अत्यंत शांत इलाके में आतंकवाद इस कदर परवान चढ़ा कि इस पर काबू पाने के लिए फौज उतारनी पड़ी।

तकरीबन 60 प्रतिशत हिंदू आबादी वाले मणिपुर में 30 प्रतिशत ईसाई और 8 प्रतिशत मुसलमान हैं। पृथकतावाद की आतंकवादी फौजों में आमतौर पर हिंदू और ईसाई नौजवान रहे। मणिपुर में गहन आर्थिक असंतोष और निर्मम शोषण-उत्पीड़न से उत्पन्न हुई पृथकतावादी सशस्त्र बगावत की प्रेरक शक्ति कदापि रूप से धर्म नहीं रहा। प्राचीन भारतीय आदिवासी कबीलों की संस्कृति से ओत-प्रोत मणिपुर में प्रमुखता से मैती, पंगल, कुकी, नगा जनजातियां हैं। वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति से सराबोर मणिपुर के नौजवान आखिरकार क्यों पृथकतावादी सशस्त्र संग्राम की ओर आकर्षित हो उठे, यह एक अत्यंत जटिल प्रश्न है। मणिपुर में जारी आतंकवाद विगत तीस वर्षों के दौरान तकरीबन 30 हजार लोगों की बलि ले चुका है।

असम और मणिपुर की सशस्त्र बगावत ही क्या, सबसे पहले 50 के दशक के प्रारम्भ में पूर्वोत्तर के नागालैंड से शुरू हुई तमाम सशस्त्र बगावतों की पृष्ठभूमि में नौजवानों में व्याप्त भयावह बेरोजगारी और भारत की असीम आर्थिक सत्ता का कुछ परिवारों के हाथों में सिमटते चले जाने और शेष जनमानस के कंगाल दरिद्र और तबाह होने की दास्तान निहित रही है। पंजाब और कश्मीर में सशस्त्र बगावत को धार्मिक-मजहबी रंग से सराबोर करने की कुचेष्टा आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी गई, जबकि वस्तुतः किसी धर्म और मजहब का आतंकवादी बगावत से कदाचित कोई सरोकार नहीं रहा है।

उल्फा नेतृत्व तो अब हुकूमत के साथ वार्ता की टेबिल पर है और उम्मीद है कि मणिपुर की सशस्त्र बागी भी उल्फा नेतृत्व का अनुसरण करेंगे तथा सदैव के लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर को अलविदा कह देगा। भारतीय देशभक्तों की प्रबल संवेदनाएं ईरोम चानू शर्मिला के साथ हैं। काश मणिपुर की सशस्त्र बागी भी ईरोम चानू शर्मिला के अहिंसक संग्राम की शक्ति को पहचान पाते, जिसका समूचा भारत प्रशंसक रहा है और भारत के साथ एकाकार होकर अपने अधिकारों के लिए अहिंसक संग्राम का आगाज करते।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)